न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2010/00004

स्व0 मोतीलाल उर्फ मांगीलाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. द्वारका लाल आत्मज स्व0 मोतीलाल उर्फ मांगीलाल जाति धाकड निवासी नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. पवन कुमार नागर आत्मज स्व0 द्वारका लाल ।
   - 1/2. कमलेश नागर आत्मज स्व0 द्वारका लाल ।
   - 1/3. वर्षा नागर पुत्री स्व0 द्वारका लाल जाति धाकड निवासीगण नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/4. श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 श्री द्वारका लाल जाति धाकड निवासी नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बनवारी लाल आत्मज स्व0 मोतीलाल उर्फ मांगीलाल जाति धाकड निवासी नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. भुवनेश कुमारी पुत्री स्व0 मांगीलाल पत्नी श्री धनराज जाति धाकड निवीस मारूती नगर एकलव्य कालेज के पास बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
4. श्रीमती गोपाली बाई विधवा पत्नी मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 कल्याण आत्मज देवा जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. बिरधीलाल आत्मज स्व0 श्री कल्याण जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/2. औंकार लाल आत्मज स्व0 श्री कल्याण जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/3. श्रीमती शांतिबाई पुत्री स्व0 श्री कल्याण पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम भगवानपुरा पोस्ट गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/4. श्रीमती कान्ती बाई पुत्री स्व0 श्री कल्याण जी पत्नी रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम मण्डानिया पोस्ट नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्वर्गीय बजरंगलाल आत्मज किशना जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 2/1. बादाम बाई पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड निवासी चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 2/2. प्रेमचन्द आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड निवासी द्वारा देवलाल नागर ग्राम सारोला पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
   - 2/3. हेमराज आत्मज स्व0 बजरंग लाल जाति धाकड ।

2/4. रामदयाल आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड ।
2/5. पुरूषोत्तम आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड ।
2/6. गिरिराज आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड ।
2/7. मदन आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड ।
2/8. कैलाश आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड ।
2/9. भगवान आत्मज स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2/10. द्वारका बाई पुत्री स्व0 बजरंगलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2/11. श्रीमती जानकी बाई पुत्री स्व0 बजरंग लाल पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश जी नागर जाति धाकड निवासी ग्राम माधोराजपुरा पोस्ट भीया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

3. महावीर आत्मज धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कलावती पुत्री धन्नालाल पत्नी चन्द्रलाल नागर जाति धाकड निवासी महात्मा गॉधी कोलोनी गली नं0 17 माला फाटक कोटा जिला कोटा ।
5. मंजू पुत्री धन्ना लाल जाति धाकड ।
6. कौशल्या बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम माधोराजपुरा पोस्ट भीया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, रेस्पोडेन्ट, की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी कम 01 रेस्पोडेन्ट मृतक कल्याण एवं वादी कम 02 अपीलान्ट मृतक मोती लाल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खतौनी संख्या 15 में कुल 27 किता की रकबा 14.63 हैक्टर भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी कम 01 का 1/3 हिस्सा, वादी कम 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी समय पूर्व आपसी पारिवारिक समझौते से विभाजन हो गया था जिसके अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज काश्त हैं । वादी कम 01 के हिस्से में कुल 10 किता की 6.81

हैक्टर भूमि आई थी । वादी कम 02 को अपने नानाजी की भी आराजियात कुछ उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुई है तथा नन्दू बेवा जगन्नाथ का देहावसान हो गया है जिसका उत्तराधिकारी भी वादी कम 02 ही है इस कारण वादी कम 02 ने अपने हिस्से 1/3 में से मात्र खसरा नम्बर 194 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि ही प्राप्त की है तथा शेष आराजियात में अपने अधिकारों को त्याग कर दिया है । इस प्रकार कुल आराजी में से वादी कम 02 का मात्र 0.97 हैक्टर पर ही कब्जा है तथा वह अपने हिस्से में इसे ही प्राप्त करना स्वीकार करता है । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 के हिस्से में 15 किता की कुल 6.84 हैक्टर आई थी । पक्षकारान उक्तानुसार अपने–अपने हिस्से में प्राप्त आराजियात पर तन्हा रूप से मालिकाना कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 03 में वर्णितानुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादपत्र की मद संख्या 03 में वर्णितानुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर सभी के नाम मद संख्या 03 में वर्णितानुसार आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 बजरंगलाल, प्रतिवादी कम 04 मंजू एवं प्रतिवादी कम 05 कौशल्या ने परीक्षण न्यायालय में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2002 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है । अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी को कभी भी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 के हिस्से में आपसी पारिवारिक बंटवारे में इनको नहीं दिया है । अपीलान्ट के परीक्षण न्यायालय में कोई हस्ताक्षर नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार काबिज काश्त है जिसको परीक्षण न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली गई है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा होने एवं खातेदार होने के कारण अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपने खातेदारी में कब्जे काश्त में होना बताया है तथा स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का भी कथन किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दिनांक 12.02.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 86 की प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 27.07.1999 की प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 27.07.1999 की प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 709 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में पेश अपील संख्या 52/2002 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी के आदेश की प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 704 की प्रमाणित प्रति, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रेलवे कॉलोनी की प्रमाणित प्रति, अंतिम प्रतिवेदन संख्या 33/02 दिनांक 29.11.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मांगीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटेरी द्वारा प्रमाणित प्रति, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति, फोटो प्रति ड्राईविंग लाइसेंस, फोटो प्रति आधार कार्ड द्वारिका- लाल नागर, फोटो प्रति पहचान पत्र बनवारी लाल, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत् 2004 से 2007 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 की प्रमाणित प्रति, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 संलग्न हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में कुछ फोटो प्रतियॉ हैं तथा कुछ दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत प्रकरण में प्रासांगिक हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड/सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों को राजस्व रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 03 ने दिनांक 12.11.2021 को जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का कथन किया ।

12. अपीलान्ट पवन कुमार एंव बनवारी लाल ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अपील हाजा के निस्तारण के लिए सुसंगत नहीं हैं उक्त दस्तावेजात न्यायालय हाजा में आवश्यक नहीं है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

13. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 48 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2049 से 2051 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 की प्रमाणित प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । उक्त दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

14. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

15. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 ने कोल्यूजन करते हुए रेस्पोडेन्ट कम 01 श्री कल्याण एवं अपीलान्ट की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें वादी कम 02 अपीलान्ट कभी भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने किसी वाद पर अपने हस्ताक्षर किये और न ही अपनी ओर से अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु किसी वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के झूठे हस्ताक्षर करके वाद पेश किया है जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया है । परीक्षण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी कम 2 व 3 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी को कभी भी रेस्पोडेन्ट के हक में त्याग नहीं किया है और न ही इनको कभी उक्त भूमि का बेचान किया है । अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर काबिज़ काश्त है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2016 (1) पेज 01, आरएलडब्ल्यू 2012 (2) (राज0) पेज 1321, आरआरडी 1989 पेज 738, आरबीजे 2001 पेज 465, एआईआर 1996 (एससी) पेज 196, आरबीजे 1999 (6) पेज 72, आरआरडी 1982 पेज 595, आरआरडी 1966 पेज 198, आरबीजे (4) 1997 पेज 485, आरबीजे 2011 पेज 225, आरआरडी 2008 पेज 474, आरएलडब्ल्यू 2001 (3) पेज 1605, एआईआर 1994 (एससी) पेज 853, आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरडी 1998 पेज 246 उद्धरत की ।

16. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट मांगीलाल को अपने नाना से भूमि प्राप्त हुई है इसलिए उनके द्वारा अपनी पैतृक भूमि में से अपना हिस्सा रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में त्याग किया है । परीक्षण न्यायालय में जो वाद पेश किया था उसमें मांगीलाल जी के हस्ताक्षर हैं । उनके द्वारा अपने अभिभाषक की नियुक्ति के लिए वकालतनामा पर भी उनके हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट अपने हस्ताक्षरों को फर्जी बताते हैं यदि उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं तो वे इस सम्बन्ध में फौजदारी कार्यवाही कर सकते हैं । प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान का आपसी सहमति से पूर्व में विभाजन हो गया था । पारिवारिक विभाजन की फोटो प्रति रेस्पोडेन्टगण के द्वारा न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई थी । अपीलान्ट को अपने नाना से प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टगण द्वारा नकल जमाबन्दी पेश की गई हैं। अपीलान्ट को अपने नाना से लगभग 40 बीघा भूमि प्राप्त हुई है । अपीलान्ट ने अपने वादपत्र में भी यही अंकन किया है कि उन्हें अपने नाना से भूमि प्राप्त हुई है इसलिए उन्हें अपने 1/3 हिस्से में से केवल खसरा नम्बर 194 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि ही प्राप्त की है तथा शेष आराजियात में से अपने अधिकारों को त्याग दिया है । इस प्रकार वादी कम 02 ने अपने हिस्से में से केवल खसरा नम्बर 194 की रकबा 0.97 हैक्टर भूमि को ही लिया है । परीक्षण न्यायालय का

निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 बहाल रखा जावे ।

17. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 1 संलग्न हैं जिसके अनुसार ग्राम चन्द्रेसल की कुल 27 किता की 14.63 हैक्टर आराजी कल्याण पि0 देवा हिस्सा 1/3 व मोती लाल पुत्र जगन्नाथ, नन्दू बेवा जगन्नाथ हिस्सा 1/3, बजरंग लाल पि0 किशना, कला बाई व अन्य के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है ।

18. वादी की ओर से बयान कल्याण कराये गये हैं ।

19. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 मृतक कल्याण एवं वादी कम 02 अपीलान्ट मृतक मोतीलाल उर्फ मांगीलाल ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का पेश किया जिसमें प्रतिवादी कम 1, 4 व 5 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

20. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मोतीलाल उर्फ मांगीलाल का 1/3 हिस्सा निहित है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में आपसी मौखिक पारिवारिक सेटलमेंट का हवाला देते हुए वादी अपीलान्ट कम 02 को वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 194 की 0.97 हैक्टर विभाजन में दी है व शेष अन्य सहखातेदार वादी कम 01 कल्याण के खाते में कुल 10 किता की रकबा 6.81 हैक्टर व प्रतिवादीगण कम 1 से 5 के हिस्से में कुल 15 किता की रकबा 6.84 हैक्टर भूमि विभाजन में देते हुए खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने तथा पृथक–पृथक लगान कायम किये जाने का आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय में आपसी पारिवारिक विभाजन का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही पक्षकारान के मध्य कोई लिखित राजीनामा पेश किया गया है और न ही वादी कम 02 द्वारा उनके हिस्से की आराजी में से 0.97 हैक्टर आराजी को छोडकर शेष आराजी के सम्बन्ध में कोई लिखित रिलीज डीड भी पत्रावली में उपलब्ध है ।

21. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उनके द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पारिवारिक विभाजन की फोटो प्रति पेश की गई थी । रेस्पोडेन्ट कम 01 कल्याण द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.09.2002 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया था और प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रतियॉ पेश की थी । उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 23.10.2002 को खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2010 के द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात को साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता ।

22. परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अंकित किया गया है कि "वादी कम 02 को अपने नानाजी की भी आराजियात कुछ उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुई है तथा नन्दू बेवा जगन्नाथ को देहावसान हो गया है, जिसका उत्तराधिकारी भी वादी कम 02 ही है, इस कारण वादी कम 02 ने अपने हिस्से 1/3 में से खसरा नम्बर 194 की रकबा 0.97 हैक्टर

भूमि ही प्राप्त की है तथा शेष हिस्से आराजियात में से अपने अधिकारों को त्याग दिया है, इस प्रकार कुल आराजियात में से वादी कम वादी कम 02 का मात्र 0.97 हैक्टर हिस्से पर ही कब्जा है तथा वह अपने हिस्से में इसे ही प्राप्त करना स्वीकार करता है ।" यहॉ तकनीकी रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या वादी वाद के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार त्याग कर सकता है ? विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 व 63 (7) के प्रावधानों को रेखांकित किया है । इस प्रकार उक्त कथन तकनीकी रूप से सही नहीं हैं ।

23. वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 11.07.2000 को वाद प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद का निर्णय दिनांक 03.05.2002 को पारित किया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 की अपील वादी कम 02 मोतीलाल उर्फ मांगी लाल ने दिनांक 03.06.2002 को न्यायालय हाजा में अपील पेश कर दी थी । अपीलान्ट ने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अपीलान्ट की भूमि डिक्री करवाने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट बजरंगलाल, महावीर, कलावती, मंजू, कौशल्या व कल्याण के विरूद्ध थाना रेलवे कॉलोनी में दिनांक 16.07.2002 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी । अपीलान्ट द्वारा निर्णय के तुरन्त बाद अपील करना तथा अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने से संशय होता है कि प्रार्थी को सुना गया है अथवा नहीं ? परीक्षण न्यायालय में बयान भी केवल वादी कम 01 कल्याण के करवाए गये हैं । वादी संख्या 02 के बयान भी नहीं हैं तथा दौराने वाद कभी न्यायालय में उपस्थित भी नहीं है । परीक्षण न्यायालय में मांगीलाल द्वारा किये गये हस्ताक्षर व अपील में किये गये मांगी लाल के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता है । वस्तुतः सम्पूर्ण स्थिति क्या है – क्या पूर्व में कोई पारिवारिक बंटवारा/समझौता या मौखिक बंटवारा/समझौता हुआ था ? क्या अपीलान्ट को अपने नाना के यहॉ भूमि मिली जिससे एक पारिवारिक समझौता हुआ ? क्या अपीलान्ट ने स्वयं के हस्ताक्षर से कभी वादपत्र पेश किया या नहीं ? यह सभी तथ्य एवं वस्तुस्थिति वाद में साक्ष्यों, बयानों आदि से ही स्पष्ट हो सकते हैं । भूमि वादी कम 02 अपीलान्ट को कम (0.97 हैक्टर) प्राप्त हुई है । अतः उपर्युक्त स्थिति में वादी कम 02 अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित है ।

24. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2002 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड पर भंली–भंति परीक्षण कर गुणावगुण के आधार नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

25. निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा